राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4734 / 2022

राजेंद्र कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकूल जयपुर।
3. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बाड़ीजोड़ी जयपुर।
4. विक्रम सिंह वर्मा वर्तमान पदस्थापन अध्यापक लेवल–प्रथम संस्कृत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोलिया नांदिया पिण्डवाड़ा सिरोही

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री नरेंद्र कुमार सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अध्यापक लेवल–प्रथम संस्कृत के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 11.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बाड़ीजोड़ी जयपुर से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय गोलिया नांदिया पिण्डवाड़ा सिरोही में किया गया है।
3. उनका तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान पर आदेश दिनांक 18.08.2020 के द्वारा पदस्थापित किया गया था और अल्पावधि में ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश की क्रियान्विति को अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

4. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

5. अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण उसके कार्यग्रहण करने के एक साल दस माह बाद किया गया है। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के दुर्भावना या विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। इस कारण आलोच्य आदेश में अधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राहय्ता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)